

2019/00057

एपीपी - ए
क्राइम I


प्रपत्र संख्या - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर फलौदी जिला जोधपुर राज.

अनोपसिंह बनाम पुष्पा वगैरा
किस्म मुकदमा 88, 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जद | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|--|---|
| <p>पत्रावली पेश हुयी । वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 28.01.2020 को प्राथमिक डिक्री किया गया था जिसकी पालना में तहसीलदार फलौदी ने विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो शामिल मिसल किया। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में बताया की तहसीलदार फलौदी द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद अंतिम डिक्री फरमाया जावें। पत्रावली पर उलब्ध विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया बाद अवलोकन वादी का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है ग्राम जागरिया पटवार क्षेत्र बावडीकलां के खेत खसरा संख्या 117 में वादी संख्या 01 के बंट रकबा 7.09 बीघा भूमि, वादी संख्या 02 व 03 के बंट खसरा संख्या 117 में रकबा 7.08 बीघा भूमि, वादी संख्या 04,05 व प्रतिवादी संख्या 07, 08 के बंट खसरा संख्या 117 में रकबा 11.03 बीघा भूमि, वादी संख्या 06 के बंट खसरा संख्या 117 में रकबा 4.00 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के बंट खसरा संख्या 117 में रकबा 6.13 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 04,05 के बंट रकबा 0.09 बीघा भूमि, व प्रतिवादी संख्या 06 के बंट रकबा 7.08 बीघा भूमि माफिक विभाजन प्रस्ताव में नजरी अनुसार रखी जाती है विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। तहसीलदार फलौदी इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में तरमीम करें। डिक्री पर्चा अलग से मूर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 22.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> (यशपाल आहूजा आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर फलौदी (जोधपुर)</p> | |



डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(अज अदालत श्री सहायक कलक्टर फलौदी
बइजलास श्री यशपाल आहूजा (आर. ए. एस.)

- वादीगण
1. अनोपसिंह पुत्र पूनसिंह
 2. मनोहरसिंह पुत्र हुक्मसिंह
 3. नन्दू पुत्र हुक्मसिंह
 4. बाबुसिंह पुत्र मालमसिंह
 5. राजूसिंह पुत्र मालमसिंह
 6. आसुसिंह पुत्र अनोपसिंह सभी जाति जागरी निवासी जागरिया तहसील फलौदी

- प्रतिवादी
1. पुष्पा पत्नी दाउसिंह
 2. राकेश पुत्र दाउसिंह
 3. मुकेश पुत्र दाउसिंह
 4. नरपतसिंह पुत्र दाउसिंह
 5. पिकी पुत्री दाउसिंह
 6. रामनारायण पुत्र मगाराम
 7. लीला पत्नि मालमसिंह
 8. जेठी पुत्री मालमसिंह सभी जाति जागरी निवासी जागरीया तहसील फलौदी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधिनियम

वाद संख्या 50/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मेरे हाजिर श्री उगराराम उदाणी अधिवक्ता मुदई पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न अनुसार अंतिम डेकी किया जाता है ग्राम जागरिया पटवार क्षेत्र बावडीकलां के खेत खसरा संख्या 117 में वादी संख्या 01 के बंट रकबा 7.09 बीघा भूमि, वादी संख्या 02 व 03 के बंट खसरा संख्या 117 में रकबा 7.08 बीघा भूमि, वादी संख्या 04,05 व प्रतिवादी संख्या 07, 08 के बंट खसरा संख्या 117 में रकबा 11.03 बीघा भूमि, वादी संख्या 06 के बंट खसरा संख्या 117 में रकबा 4.00 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के बंट खसरा संख्या 117 में रकबा 6.13 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 04,05 के बंट रकबा 0.09 बीघा भूमि, व प्रतिवादी संख्या 06 के बंट रकबा 7.08 बीघा भूमि माफिक विभाजन प्रस्ताव में नजरी अनुसार रखी जाती है विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। तहसीलदार फलौदी इसी माफिक राजस्व रिकर्ड में तरमीम करें।

मुतालिक

बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।

रसूल याबी तक

इसबत मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 10 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत
सहायक कलक्टर
फलौदी (जोधपुर)

मोहर

| मुदई | रुपया | पैसे | मुदायला | रुपया | पैसे |
|--|-------|------|--|-------|------|
| अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान | - | - | अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान | - | - |

नोट:- इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावें।